न्यायालय सिविल जज (सी.डि.), देहरादून।

मूलवाद संख्या 43/2024

श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय पथरी बाग कैम्पस बनाम चंदन नेगी व अन्य

नोटिस बनाम

1. चंदन नेगी (छात्र संघ अध्यक्ष) श्री गुरू राम राय पी0जी0 कॉलेज देहरादून पुत्र श्री पूरण सिंह निवासी– कारगी चौक, देहरादून।
2. ऋषभ रावत (महामंत्री अखिल भारतीय विधार्थी परिषद) पुत्र श्री भगवान सिंह रावत निवासी– 200–लेन नं01, नागेन्द्र सकलानी मार्ग, टी0स्टेट, बनजारावाला, देहरादून।
3. पार्थ जुयाल, (पूर्व छात्र संध अध्यक्ष) श्री गुरू राम राय पी0जी0 कॉलेज देहरादून, पुत्र श्री विजय जुयाल मूल निवासी– सतपुली पौड़ी गढवाल, हाल निवासी– कारगी चौक नियर पेट्रोल पम्प, देहरादून।
4. कुलदीप सिंह उर्फ सोनू सरदार मूल निवासी– बिहारीगढ़, बुगावाला जिला हरिद्वार हाल निवासी– पथरी बाग देहरादून।

.....प्रतिवादीगण

दिनांक 02.02.2024

वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. पी. सिंह को प्रार्थना पत्र संख्या 6ग2 पर एकपक्षीय रूप से सुना गया।

2. वादी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 6सी2 मय शपथपत्र 7ग2 बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. वादी द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह कहते हुये प्रस्तुत किया गया है कि श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड सरकार द्वारा श्री गुरू राम राय यूनिवर्सिटी एक्ट संख्या 3/2017 के माध्यम से स्थापित है। यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय के पत्थरी बाग कैम्पस में कुछ छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिवादीगण के निर्देशानुसार दिनांक 30.01.2024 से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं की मांग के अनुसार श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालयके कुलपति से प्रतिवादी एवं अन्य छात्र छात्राओं की बैठक दिनांक 31.01.2024 को हो चुकी है। प्रतिवादीगण ने अन्य कोई छात्र छात्राओं के साथ बिना वैधानिक अनुमति के विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के मुख्य क्षेत्र को कब्जे में ले रखा है,

जिससे कि प्रशासनिक कार्यों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। नारेबाजी के दौरान अनैतिक, अमर्यादित शब्दावली का प्रतिवादीगण प्रयोग कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा जारी धरना प्रदर्शन अध्यन्नरत छात्र छात्राओं को उक्साने, भडकाने और गुम्राह करने जैसी गतिविधियों में लिप्त है। विश्वविद्यालय का शैक्षणिक महौल अत्यधिक खराब होता जा रहा है। विश्वविद्यालय की परीक्षा शुरू होने जा रही है और प्रतिवादीगण एवं अन्य छात्र छात्राओं द्वारा धरना प्रदर्शन अध्यन्नरत छात्र छात्राओं का भविष्य समाप्त कर देगा तथा शैक्षणिक सत्र भी प्रभावित होगा। वादी संस्थान की ओर से दिनांक 30.01.2024 को एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून तथा थानाध्यक्ष पटेलनगर को प्रेषित किया था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः प्रतिवादीगण, उनके एजेन्ट, नौकर, हित प्रतिनिधि आदि को अस्थाई व्यादेश द्वारा निषिद्ध किया जाए कि वह वाद पत्र की सूची में वर्णित सम्पत्ति के 500 मीटर की परिधि के भीतर किसी प्रकार का कोई आवागमन, किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन, लाउड स्पीकर तथा किसी प्रकार की कोई तालाबंदी या अध्यन्नरत छात्र–छात्राओं के साथ तथा उनके अभिवावकों के साथ कोई हिंसात्मक कार्यवाही न करे और विश्वविद्यालय के समक्ष यातायात अवरूद्ध न करे और न ही उसका कारण बने।

5. वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में शपथपत्र 7सी2 का भाग बनाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रषित पत्र की प्रति 7ग2/3, प्रभारी थाना कोतवाली को प्रेषित पत्र की प्रति 7ग2/4, कुलपति श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र की छायाप्रति 7ग2/5–6, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष को प्रेषित पत्र की छायाप्रति 7ग2/7, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि छात्रसंघ को प्रेषित पत्र की छायाप्रति 7ग2/8, अंशुल प्रसाद बहुगुणा को प्रेषित पत्र की छायाप्रति 7ग2/10, छात्रसंघ अध्यक्ष को प्रेषित पत्र की छायाप्रति 7ग2/11, रितिक कुमार को प्रेषित पत्र की छायाप्रति 7ग2/12, पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि छात्रसंघ को प्रेषित पत्र की छायाप्रति 7ग2/13, राहुल जुयाल को प्रेषित पत्र की छायाप्रति 7ग2/14, कुमारी आयुषी पैन्यूली को प्रेषित पत्र की छायाप्रति 7ग2/15, रंगीन फोटोग्राफ 7ग2/16 लगायत 7ग2/21, मूलवाद संख्या 440 सन् 2017 के आदेश की छायाप्रति 7ग2/22 लगायत 7ग2/25 प्रस्तुत की गई।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) देहरादून

6. इस प्रकार प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रतिवादीगण ने अवैधानिक रूप से विश्वविद्यालय भवन के मुख्य क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रखा है, जिससे कि प्रशासनिक कार्य व शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा अनैतिक, अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग भी किया जा रहा है। जिससे कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है। विश्वविद्यालय की

परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिस कारण प्रतिवादीगण द्वारा विवादित सम्पत्ति पर धरना–प्रदर्शन करने से शैक्षणिक सत्र भी प्रभावित हो सकता है।

7. अतः न्यायालय के मतानुसार वर्तमान वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादीगण को अग्रिम नियत तिथि तक वाद पत्र के अंत में वर्णित सम्पत्ति के भीतर व वादग्रस्त सम्पत्ति के मुख्य द्वार व बाउण्ड्री वाल से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन, तालाबंदी या यातायात अवरूद्ध करने और उसका कारण बनने से निषेधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अन्यथा वादी का वाद लाने का उद्देश्य विफल होने की संभावना होना प्रतीत होता है।

8. तद्नुसार प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक वाद पत्र की सूची में उल्लेखित वादग्रस्त सम्पत्ति के भीतर व वादग्रस्त सम्पत्ति के मुख्य द्वार व बाउण्ड्रीवाल से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन करने, तालाबंदी या यातायात अवरूद्ध करने और उसका कारण बनने से निषेधित किया जाता है।

9. वादी आदेश 39 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहित के परन्तुक का अनुपालन कर शपथपत्र प्रस्तुत करें।

10. पत्रावली दिनांक 26.02.2024 को प्रार्थना पत्र 6ग2 पर आपत्ति/निस्तारण हेतु पेश हो। वादी अविलम्ब पैरवी करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो।

(रिंकी साहनी)
सिविल जज (सी.डि.),
देहरादून

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) देहरादून

सूची सम्पत्ति

श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय पथरी बाग कैम्पस पटेल नगर, देहरादून।

उक्त आदेश न्यायालय की मुद्रा सहित न्यायालय के प्रबन्धक द्वारा जारी किया गया।

02/02/24
प्रबन्धक
सिविल जज (सी.डि.),
देहरादून